तम्बाक् बोर्ड (नीलामी) विनियम, 1984

सं. 8/5/83-ई.पी (कृषि-VI)- तम्बाक् बोर्ड, तम्बाक् बोर्ड अधिनियम, 1975 (1975 का 4) की धारा 33 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्निलिखित विनियम बनाता है, जिनका उक्त धारा की उपधारा (3) द्वारा अपेक्षित रूप में केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदन कर दिया गया है, अर्थात्:-

1	(i)	संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ: इन नियमों का संक्षिप्त नाम तम्बाक् बोर्ड (नीलामी)
		विनियम 1984 है।
	*(ii)	ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
2	परिभा	षाएँ :
	इन नि	ोयमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हों :
	(क)	" अधिनियम " से तम्बाक् बोर्ड अधिनियम, 1975 (1975 का 4) अभिप्रेत है।
		**(1) "नीलामी"से तात्पर्य ऐसी बिक्री से है जिसमें फ्लू क्योर्ड वर्जीनिया तम्बाक्
		की बिक्री मैनुअल प्रक्रिया अथवा इलेक्ट्रानिक प्रक्रिया के जरिए सबसे उँची बोली
		लगाने वाले को की जाती है;
	(ख)	"प्ररूप" से विनियमों से उपबद्ध प्ररूप अभिप्रेत है;
	(ग)	"नीलामी निदेशक" से इन विनियमों के अधीन नीलामी निदेशक के कर्तव्यों और
		कृत्यों का निर्वहन करने के लिए नियुक्त किया गया बोर्ड का कोई अधिकारी
		अभिप्रेत है;
	(ঘ)	"नीलामी अधीक्षक" से इन विनियमों के अधीन नीलामी अधीक्षक के कर्तट्यों और
		कृत्यों का निर्वहन करने के लिए नियुक्त किया गया बोर्ड का कोई अधिकारी
		अभिप्रेत है;
	(ਭ.)	"ज्येष्ठ वर्गीकरणकर्ता" से इन विनियमों के अधीन ज्येष्ठ वर्गीकरणकर्ताके
		कर्तव्यों और कृत्यों का निर्वहन करने के लिए नियुक्त किया गया बोर्ड का कोई
		अधिकारी अभिप्रेत है;
	(च)	"वर्गीकरणकर्ता" से इन विनियमों के अधीन वर्गीकरणकर्ताके कर्तव्यों और कृत्यों
		का निर्वहन करने के लिए नियुक्त किया गया बोर्ड का कोई अधिकारी अभिप्रेत है;
	(छ)	"प्रारंभकर्ता" से इन विनियमों के अधीन किसी प्रारंभकर्ता के कर्तव्यों और कृत्यों
		का निर्वहन करने के लिए नियुक्त किया गया बोर्ड का कोई अधिकारी अभिप्रेत है;
 •		

[•] भारत के राजपत्र असाधारण भाग-।।।, खण्ड-4 में दि.30/08/1984 को प्रकाशित किया गया था ।

^{**} भारत के राजपत्रभाग-।।, खण्ड-3, उप-खण्ड (ii) में दि.08/01/2014 को प्रकाशित तम्बाकू बोर्ड (नीलामी) (संशोधन) विनियमों, 2014 द्वारा संशोधित किया गया था ।

(ज) "प्रारंभकर्ता का सहायक" से इन विनियमों के अधीन किसी प्रारंभकर्ता के सहायक के कर्तव्यों और कृत्यों का निर्वहन करने के लिए नियुक्त किया गया बोर्ड व कोई अधिकारी अभिप्रेत है; (झ) "श्रेणी" से तम्बाकू के संबंध मे तम्बाकू की वह श्रेणी जो बोर्ड द्वारा समय सम पर विनिर्दिष्ट की जाए, अभिप्रेत है; (ळ) "मिश्रित गांठ" से वह गांठ जिसके अन्तर्गत बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट से भिन्न
कोई अधिकारी अभिप्रेत है; (झ) "श्रेणी" से तम्बाकू के संबंध मे तम्बाकू की वह श्रेणी जो बोर्ड द्वारा समय सम पर विनिर्दिष्ट की जाए, अभिप्रेत है;
(झ) "श्रेणी" से तम्बाकू के संबंध मे तम्बाकू की वह श्रेणी जो बोर्ड द्वारा समय सम पर विनिर्दिष्ट की जाए, अभिप्रेत है;
पर विनिर्दिष्ट की जाए, अभिप्रेत है;
(ळ) "मिश्रित गांठ" से वह गांठ जिसके अन्तर्गत बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट से भिन्न
एकरूपता से कम स्तर वाली तम्बाकू है, अभिप्रेत है;
(^{ट)} "बासी तम्बाक्"से ऐसी तम्बाक् जिसमें अच्छी दिखाई पडती हुए भी
वर्गीकरणकर्ता की राय में ऐसी गंध है जिससे यह इंगित होता है कि तम्बाक्
फफ्ंदी लगी हुई है या ,लगने वाली है, अभिप्रेत है;
(ठ) "फफूंदीतम्बाकू"से वह तम्बाकू जिसमें कवक या फफूँदी लगी है, अभिप्रेत है;
(^ड) "नीडित तम्बाक्"से ऐसी रीति में पैक किया गया तम्बाक् जिस से उसव
अन्तर्वस्तु की प्रकृति और क्वालिटी के बारे में पूर्ण रूप से क्रेता को प्रवंचित किर
जा सके, अभिप्रेत है;
(ढ) ऐसे सभी पदों और अभिव्यक्तियों का वही अर्थ होगा जो उनका अधिनियम में है
3 पासबुकों का उगाने वालों को जारी किया जाना:
नीलामी निदेशक किसी ऐसे स्थानीय क्षेत्र में जिसमें किसी मंच की स्थापना की गई है
प्रत्येक उगानेवाले को प्रारूप 1 में एक पासबुक परिदत्त करवायेगा।
4 उगाने वालों की विवरणियाँ :
प्रत्येक उगाने वाला उस मंच के जिसको वह आबंटित किया जता है नीलामी अधीक्षक व
प्रत्येक वर्ष निम्नलिखित विवरणियां भेजेगा। नी
(क) उगाने वाले के अपनी भूमि में तम्बाक् उगाए जाने के पश्चात 15 दिन के भीत
प्ररूप-2 में एक विवरणी, और
(ख) मैसूर, हसन, कोडगू, बंगलौर और कोलार जिले में एक जुलाई को या उसन
पश्चात् किन्तु 15 जुलाई से पूर्व और अन्य क्षेत्रों में 30 जुलाई से पूर्व प्ररूप-3
एक विवरण
• (कर्नाटका राज्य के अन्य क्षेत्रों में 30 जुलाई से पूर्व और आन्ध्र प्रदे
राज्य में 15 दिसम्बर, को किन्तु 31 दिसम्बर के पश्चात्)

^{*} तम्बाक् बोर्ड (नीलामी) संशोधन विनियम ,1985 भारत के राजपत्रभाग-।।, खण्ड-4में दि.15/02/1985 को प्रकाशित द्वारा जोड दिया गया था ।

	5	आबंट	न परिदान, कोटा और तारिख:
		(1)	प्ररूप-3 में विवरणी की प्राप्ति के यथाशक्यशीघ्र किन्तु उसके मंच पर नीलाम का
			पहला नीलामी विक्रय करने के सात दिन से पूर्व नीलामी अधीक्षक प्ररूप 4 में ऐसे
			प्रत्येक उगाने वाले को एक प्राधिकरण कार्ड जारी करेगा जिसमें उस तम्बाकू की
			कुल मात्रा जिसे उगाने वाला नीलामी विक्रय के मौसम के उदौरान परिदत्त करेगा
			और वह मात्रा जो वह ऐसे मौसम के दौरान विभिन्न तारीखों को परिदत्त करेगा,
			संसूचित की जाएगी ।
		(2)	पूर्वीक्त वर्णित कुल मात्र अवधारित करने में नीलामी अधीक्षक निम्नलिखित बातों
			को ध्यान में रखेगा:
		(क)	कुल क्षेत्र जो अधिनियम की धारा 10 के अधीन उगाने वाले को जारी किए गए
			रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र के अन्तर्गत आता है;
		(ख)	कुल क्षेत्र जिसे प्ररूप-2 में विवरणी में उगाने वाले द्वारा तम्बाकू के साथ
			उगाया गया दर्शित किया है;
		(ग)	क्षेत्र में तम्बाक् की औसत उपज ;
		(ঘ)	उगाने वाले द्वारा प्ररूप-3 में की विवरणी में उपदर्शित प्रक्कलित उपज ।
			परन्तु परिदान के लिए प्राधिकृत कुल मात्रा किसी भी समय प्ररूप-3
			में उगाने वाले द्वारा उपदर्शित उपज से अधिक नहीं होगी।
	6		कुल क्षेत्र उगाने वाला विनियम 5 के उपविनियम (1) के अधीन प्राधिकृत
			मात्रा से अधिक तम्बाकू परिदत्त करने के लिए हकदार नहीं होगा।
			परन्त् जो प्राधिकृत है उसमें 10 प्रतिशत अधिक की मात्रा अधिक नहीं
			मानी जाएगी।
			परन्तु यह और कि यदि उगाने वाले ने विक्रय की पहली या दूसरी
			तारीख को प्राधिकृत मात्रा से कम परिदत्त की है, तो वह नीलामी अधीक्षक
			की लिखित अनुजा से पश्चातवर्ती तारीखों को उस कमी को परिदत्त कर
			सकेगा।
L		l	I

	1		
7	तम्बाक् को पैक करने और परिदत्त करने का ढंग:		
	तम्बाब्	रू निम्नलिखित रीति में मंच पर परिदत्त किया जाएगा;	
	(1)	सभी तम्बाक् केवल एक ही श्रेणी की तम्बाक् वाली गंठों में पैक किया जाएगा।	
	+(2)	कर्नाटका में नीलामी मंचों की दशा में किसी भी गांठ का वजन शुद्ध 80	
		किलोग्राम से अधिक या 25 किलोग्राम से कम नहीं होगा और अपन्ध्र प्रदेश राज्य	
		में नीलामी मंचों की दशा में, किसी भी गांठ का वजन शुद्ध 100 किलोग्राम से	
		अधिक या 25 किलोग्राम से कम नहीं होगा।	
	(3)	गांठों का आकार लम्बाई में 800 मि.मी., चौडाई में 800 मि.मी. होगा और ऊंचाई	
		में 600 मि.मी. से अधिक नहीं होगा।	
		परन्तु अधिक से अधिक 50 मि.मी. के फेरार की अनुमति दी जाएगी।	
	(4)	गांठ बोर्ड द्वारा अनुमोदित सामग्री के टुकडों में लपेटी जाएगी जिसमें से प्रत्येक	
		की कम से कम एक मीटर लम्बाकई और एक मीटर चौडाई होगी।	
	(5)	गोठ को ऐसी रीति में लपेटा जाएगा कि उसकी सिलाई को काटकर गांठ में पैक	
		की गई तम्बाकू तक सीधी पहुँच प्राप्त हो सके।	
	(6)	लपेटने वाली सामग्री की धागों से उचित रूप से सिलाई की जाएगी।	
	(7)	धागे सहित पैक करने वाली सामग्री का वजन एक किलोग्राम से अधिक नहीं	
		होगा।	
	(8)	गांठ पर स्पष्ट रूप से विनियम 3 के अधीन उगाने वाले को जारी की गई	
		पासबुक में विनिर्दिष्ट उगाने वाले का रजिस्ट्रीकरण संख्यांक और वह तारीख	
		जिसको गांठ परिदत्त की जाती है, स्पष्ट रूप से चिन्हित की जाएगी।	
	(9)	कोई भी उगाने वाला अपनी गांठ पर कोई अन्य चिन्ह न तो लगवायेगा और न	
		ही चिन्हित करेगा।	
	1		

⁺तम्बाकू बोर्ड (नीलामी) संशोधन विनियम, 1985 भारत के राजपत्रभाग-,।।।, खण्ड-4में दि.15/02/1985 को अधिसूचित द्वारा प्रतिस्थापित किया गया।

			परन्तु यह कि वह अपनी स्वयं की पहचान के प्रयोजनों के लिए अपने	
			रजिस्ट्रीकरण संख्यांक के पश्चात और उसी आधार पर दो वर्णनुक्रमिक अक्षर जोड	
			सकता है।	
		(10)	उगाने वाला किसी भी दिन विक्रय के लिए प्राधिकृत सभी गांठें एक परेषण में	
			परिदत्त करेगा।	
8	8	रसीद और वजन:		
		(1)	त्यों ही गाठें मंच पर परिदत्त की जाती हैं, ज्योंहि नीलामी अधीक्षक ऐसी गांठों	
			को ऐसी रीति में लाट संख्या से चिन्हित करायेगा कि उगाने वाले की सभी गांठों	
			को क्रमशः संख्यांक दिया जा सके।	
		(2)	प्रत्येक गांठ का वजन किया जाएगा और (गांठ के कुल वजन में से पैकिंग	
			सामग्री के वजन के लिए एक किलोग्राम की कटौती करने के पश्चात्) कुल वजन	
			गांठ पर स्पष्ट रूप से चिन्हित किया जाएगा।	
		(3)	उगाने वाले को परूप (5) में एक रसीद जारी की जाएगी और साथ ही प्ररूप 6 में	
			एक गांठ टिकट गांठ के साथ मजबूती से लगा दी जाएगी।	
		(4)	तत्पश्यात् गांठों को विक्रयाथ मंच पर क्रमवार लगाया जाएगा।	
9	9	मंच पर क्रमवार लगाना:		
		गांठों व	को सर्वथा लाट संख्या के अनुसार मंच पर क्रमांकित किया जाएगा।	
-	10	तम्बावू	् का वर्गीकरण:	
		(1)	ज्यों ही गांठों की मंच पर क्रमांकित किया जाता है त्यों ही वर्गीकरणकर्ता गांठों	
			को खोलेगा, गांठ में तम्बाकू को श्रेणी के सही निर्धारण के लिए उतने नमूने लेगा	
			जितने वह आवश्यक समझे और तम्बाकू को समुचित श्रेणी समनुदेशित करेगा।	
		(2)	इस प्रकार समनुदेशित श्रेणी गांठ टिकट में किसी समुचित स्थान पर स्याही से	
			लिखी जायेगी।	
		(3)	एक बार समनुदेशित श्रेणी में ज्येष्ट वर्गीकरणकर्ता द्वारा ही परिवर्तन किया	
			जाएगा अन्यथा नहीं। यदि वह कोई परिवर्तन करना चाहता है, तो पहले	
			समनुदेशित श्रेणी को काट देगा और गांठ टिकट पर लाल स्याही से उस आशय	
			की एक प्रविष्टि करेगा और उस पर अद्याक्षर करेगा।	

	(4)	श्रेणी के समनुदेशन के पश्चात् गांठ बांध दी जाएगी और नमूना गांठ के ऊपर		
		गांठ का विक्रय कर दिए जाने तक संप्रदर्शित किया जायेगा।		
*11	क्रेताओं का वर्गीकरण:			
	बोर्ड 3	बोर्ड अपने विवेकानुसार नीचे सारणी के स्तंभ 2 में विनिर्दिष्ट रूप में उनके द्वारा किए		
	गए तम्बाकू के क्रय के आधार पर क्रेताओं को क,ख या ग के रूप में वर्गीकृत कर			
	सकेगा	3-		

सारणी

स्तम्भ सं.1	स्तम्भ सं.2
"क " वर्ग के क्रेता	कर्नाटका राज्य में, वर्ष 1984 के लिए, 1983
	के दौरान दस लाख किलोग्राम से अन्यून या
	1981, 1982 और 1983 के दौरान औसतन दस
	लाख किलोग्राम प्रति वर्ष से अन्यून और
	पश्चात्वर्ती वर्षों के लिए पूर्व वर्ष के दौरान संबद्ध
	नीलामी मंच पर 3 लाख किलोग्राम से अन्यून।
	आन्ध्र प्रदेश राज्य में, वर्ष 1985 के लिए,
	1984 के दौरान 30 लाख किलोग्राम से अन्यून
	या 1982, 1983 और 1984 के दौरान औसतन
	30 लाख किलोग्राम प्रति वर्ष से अन्यून और
	पश्चातवर्ती वर्षों के लिए पूर्व वर्ष के दौरान
	संबद्ध नीलामी मंच पर 10 लाख किलोग्राम से
	अन्यून।

तम्बाक् बोर्ड (नीलामी) संशोधन विनियम, 1985 भारत के राजपत्रभाग-,।।।, खण्ड-4में दि.15/02/1985 को प्रकाशितानुसार संशोधित किया गया था।

"ख" वर्ग के क्रेता	कर्नाटका राज्य में, वर्ष 1984 के लिए, 1983
G 441 47 37(II	के दौरान 5 लाख किलोग्राम से अन्यून या
	1981, 1982 और 1983 के दौरान औसतन 5
	लाख किलोग्राम प्रति वर्ष से अन्यून और
	पश्चात्वर्ती वर्षों के लिए पूर्व वर्ष के दौरान संबद्ध
	नीलामी मंच पर 1.5 लाख किलोग्राम से अन्यून।
	आन्ध्र प्रदेश राज्य में, वर्ष 1985 के लिए,
	1984 के दौरान 10 लाख किलोग्राम से अन्यून
	या 1982, 1983 और 1984 के दौरान औसतन
	10 लाख किलोग्राम प्रति वर्ष से अन्यून और
	पश्चातवर्ती वर्षों के लिए पूर्व वर्ष के दौरान
	संबद्ध नीलामी मंच पर 3 लाख किलोग्राम से
	अन्यून।
"ग" वर्ग के क्रेता	कर्नाटका राज्य में, वर्ष 1984 के लिए, 1983
	के दौरान 1 लाख किलोग्राम से अन्यून या
	1981, 1982 और 1983 के दौरान औसतन 1
	लाख किलोग्राम प्रति वर्ष से अन्यून और
	पश्चात्वर्ती वर्षों के लिए पूर्व वर्ष के दौरान संबद्ध
	नीलामी मंच पर 50,000 किलोग्राम से अन्यून।
	 आन्ध्र प्रदेश राज्य में, वर्ष 1985 के लिए,
	1984 के दौरान 1 लाख किलोग्राम से अन्यून या
	1982, 1983 और 1984 के दौरान औसतन 1
	लाख किलोग्राम प्रति वर्ष से अन्यून और
	पश्चातवर्ती वर्षों के लिए पूर्व वर्ष के दौरान
	संबद्ध नीलामी मंच पर 50,000 किलोग्राम से
	अन्यून।

1			
पर	प्नु उस	। व्यक्ति को जो ऊपर विपिनर्दिष्ट शर्तों को पूरा नहीं करता है, नीलामी निदेशक	
के वि	के विवेकानुसार "ग" वर्ग के क्रेताके रूप में प्राधिकार दिया जा सकेगा।		
12	क्रेता व	के प्राधिकार के लिए प्रक्रिया और प्राधिकार की शर्तें:	
	(1)	मंच पर कार्य करने के लिए प्राधिकृत क्रेताओं की संख्या सामान्यत: 15 तक	
		सीमित रहेगी।	
	(2)	प्राधिकार देने में नीलामी निदेशक "ख" और "ग" वर्ग क्रेताओं की तुलना में	
		"क"वर्ग क्रेताओं को और"ग" वर्ग क्रेताओं की तुलना में वर्ग "ख" क्रेताओं को	
		अधिमान्यता देगा। क्रेताओं के प्रत्येक वर्ग में उन क्रेताओं को जिसने अधिक	
		तम्बाक् खरीदा है, उन क्रेताओं से अधिक अधिमान्यता दी जाएगी जिन्होंने कम	
		खरीदा है यदि दो क्रेताओं ने एक ही मात्र में तम्बाक् खरीदा है, तो यह पुन:	
		लाट निकालकर विनिश्चित किया जाएगा।	
13	क्रेताअं	ों द्वारा आवेदन:	
	*(1)	मंच पर क्रेता के रूप में कार्य करने का आशय रखने वाला व्यक्ति कर्नाटका	
		राज्य में उस वर्ष में जिसके दौरान वह कार्य करना चाहता है, 30 जून, को या	
		उसके पूर्व तथा आन्ध्र प्रदेश राज्य में 15 जनवरी को या उसके पूर्व, अथवा	
		किसी अन्य तारीख को जो बोर्ड नीलाम के सुचारू संचालन के लिए उचित	
		समझे, नीलाम निदेशक को प्रारूप 7 में आवेदन करेगा।	
	*(2)	आवेदन के साथ बोर्ड द्वारा अधिनियम के अधीन जारी किए गए रजिस्ट्रीकरण	
	(क)	प्रमाण पत्र की एक प्रति और रू.500/- की फीस दी जाएगी।	
	(ख)	फीस आवेदक को प्राधिकरण नामंजूर किए जाने की दशा में वापस लौटा दी	
		जाएगी।	
	(3)	प्रत्येक मंच के लिए पृथक आवेदन किया जाएगा।	

[•] तम्बाक् बोर्ड (नीलामी) संशोधन विनियम, 1985 भारत के राजपत्रभाग-,।।।, खण्ड-4में दि.15/02/1985 को प्रकाशितानुसार संशोधित किया गया था।

::189::

(4)		आवेदन पर ऐसे व्यक्तियों के (जो चार से अधिक नहीं होंगे) नाम और उनके
		हस्ताक्षर होंगे जो मंच पर क्रेता की ओर से कार्य करेंगे।
(5)	(क)	ऐसा आवेदन प्राप्त होने पर नीलामी निदेशक, यदि वह आवेदक को प्राधिकरण के
		लिए पात्र पाता है, तो प्राधिकरण दे सकेगा **(फार्म VIIIके अनुसार)
	(ख)	नीलामी निदेशक आवेदक को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात और लेखाबद्ध
		किए जाने वाले कारणों से ऐसे किसी व्यक्ति को, जो इन विनियमों के अधीन
		निनिरर्हित है या मंच पर जिसके कार्य करने से मंच का दक्ष कार्यकरण संभाव्य
		नहीं है, प्राधिकरण देने से इंकार कर सकेगा।
	(ग)	एक बार दिया गया प्राधिकरण उस कलैण्डर वष्र के अन्त तक जिसके दौरान वह
		दिया गया है, प्रवृत्त रहेगा।
	(ঘ)	कोई व्यक्ति किसी मंच पर क्रेता के रूप में कार्य नहीं करेगा यदि उसे-
	(i)	किसी समुचित न्यायालय द्वारा दिवालिया घोषित कर दिया गया है,
	(ii)	अपने कारबार के संबंध में किसी उगाने वाले का या बोर्ड का कोई ऋण है।
(6)		नीलामी निदेशक किसी ऐसे व्यक्ति को क्रेता के रूप में कार्य करने के लिए
		प्राधिकरण देने से दंकार कर सकेगा यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि:
	(i)	अधिनियम के अधीन जारी किया गया ऐसे व्यक्ति का रजिस्ट्रीकरण कुछ समय
		पहले रद्द कर दिया गया है और ऐसे रद्दकरण की तारीख से छह मास व्यतीत
		नहीं हुए है ;
	(ii)	ऐसा व्यक्ति अधिनियम के अधीन किसी अपराध का या नियमों या विनियमों के
		अधीन किसी कदाचार का दोषी रहा है ;या

[•] तम्बाक् बोर्ड (नीलामी) संशोधन विनियम, 1988 भारत के राजपत्रभाग-,।।।, खण्ड-4में दि.21/12/1988 को प्रकाशितानुसार जोड दिया गया था।

	(iii)	किसी ऐसे ट्यक्ति के साथ भागीदार है जिसको प्राधिकरण देन से इंकार कर	
		दिया गया है, या	
	(iv)	ऐसा व्यक्ति बोर्ड को सम्यक् समय पर अपने द्वारा उसको देय जुर्माना या अन्य	
		देय राशि का संदाय करने में असफल रहा है, या	
	(v)	ऐसा व्यक्ति सम्यक् समय पर नीलामी अधीचक को कोई विवरणी या रिपोर्ट	
		प्रस्तुत करने में असफल रहा है, जिन को वह नियमों या विनियमों के अधीन	
		प्रस्तुत करने के लिए अपेक्षित हो।	
14	क्रेताओं का निलंबन:		
	यदि	कोई प्राधिकृत क्रेता सम्बद्ध नीलामी अधीक्षक से अनुपस्थिति छुट्टी अभिप्राप्त	
	किए	बबिना लगातार तीन दिन तक जिसके दौरान नीलामी की जाती है अनुपस्थिति	
	रहता	है तो नीलामी अधीक्षक ऐसे क्रेता को 15 दिन से अनधिक की अवधि के लिए मंच	
	से नि	त्रंबित कर सकेगा।	
	परन	न्तु नीलामी अधीक्षक ऐसे निलंबन को उस दशा में प्रतिसंहत कर सकेगा यदि	
	उसका	यह समाधान हो जाता है कि क्रेता की अनुपस्थिति उसके नियंत्रण के परे कारणों	
	से हुई	थी या यह कि मंच पर क्रेता की उपस्थिति मं पर प्रतिस्पर्धा बनाये रखने के हित	
	में आव	वश्यक है।	
15	नीलाम	प्रक्रिया:	
	(1)	ज्यों ही नीलामी अधीक्षक की राय में गांठों की पर्याप्त संख्या विक्रय के लिए	
		सुलभ होगी त्यों ही तम्बाकू की नीलामी शुरू कर दी जाएगी ।	
	(2)	प्रत्येक गांठ सर्वथा लाट संख्या के अनुसार विक्रय के लिए रखी जाएगी।	
		परन्तु प्रारंभकर्ता विक्रय के क्रम में परिवर्तन कर सकेगा यदि वह ऐसा परिवर्तन	
		विक्रय के सुगम संचालन को सुकर बनाने के लिए आवश्यक समझता है।	
16	विक्रय	का संचालन :	
	(1)	प्रत्येक विक्रय में प्रारंभकर्ता, प्रारंभकर्ता का सहायक और उसका सहायक एक	
		पंक्ति में एक साथ खडे हो जाएंगे और किसी अन्य व्यक्ति द्वारा उनको अलग	
		नहीं किया जाएगा।	
	(2)	प्रारंभकर्ता का सहायक क्रेताओं की मुख्य पंक्ति के सामने और उस गांठ के	
		निकट जिसे विक्रीत किया जा रहा है, खडा होगा और उस स्थिति में तब तक	
		खडा रहेगा जब तक कि गांठ के क्रेता का नाम उसके द्वारा घोषित नहीं कर	
		दिया जाता है।	

	1	,
	(3)	क्रेता, क्रेताओं की पंक्ति में स्वयं अपने स्थान पर खेडे हो जाएंगे।
	(4)	यदि क्रेता अपने स्थान की बाबत सहमत होने में असमर्थ हैं तो मामला नीलामी
		अधीक्षक को निर्देशित किया जाएगा जिसका विनिश्चय अंतिम होगा ।
17	बोली	लगाने का ढंग :
	(1)	प्रत्येक गांठ के विक्रय के प्रारंभ पर प्रारंभकर्ता उस श्रेणी और मूल्य की घोषणा
		करेगा जिसकी वह इस पर बोली लगाता है।
	(2)	उसके ठीक पश्चात् प्रारंभकर्ता का सहायक मूल्य की बोली लगायेगा और उस
		मूल्य को या किसी क्रेता द्वारा बोली लगाए गए किसी उच्चतर मूल्य को तब
		तक बोलता रहेगा जब तक कि उसका यह समाधान नहीं हो जाता है कि कोई
		और उच्चतर बोली नहीं लगाई जाएगी। वह तब सर्वोच्च बोली लगाने वाले का
		नाम घोषित करेगा।
	(3)	क्रेता शुरू के मूल्य को स्वीकार कर सकेगा और तत्पश्चात् बोली 10 पैसे प्रति
		किलो ग्राम से अन्यून की बोलियों द्वारा अग्रसर होगी जब तक कि गांठ
		सर्वोच्च बोली लगाने वाले का नहीं दे दी जाती है।
	(4)	ज्यों ही गांठ की बोली समाप्त हो जाती है, प्रारंभकर्ता का सहायक या उसके
		सहायकों में से एक गांठ टिकट के समुचित स्थान पर तम्बाक् का मूल्य और
		क्रेता के नाम लिखेगा और उस पर अपने आद्यक्षर करेगा। वह क्रेता के
		आद्याक्षर भी प्राप्त करेगा।
		इसके पश्चात् क्रेता विक्रय को इस आधार पर प्रश्नगत नहीं करेगा कि उपदर्शित
		मूल्य सही नहीं है या यह कि उसने गांठ के लिए बोली नहीं लगाई थी ।
∗17क	(1)	बिक्री की शुरूआत के समय प्रत्येक बेल स्टार्टर, ग्रेड की घोषणा द्वारा उसके
		लिए नियत कीमत प्रारंभिक कीमत को इलेक्ट्रॉनिक टर्मिनल उपकरण में सक्रिय
		करेगा।
	(2)	ई-नीलामी प्रणाली पर लॉग-ऑन करने वाले सभी विक्रेता बोली प्रदाता द्वारा
		गाँठ की उच्चतम बोली लगाए जाने तक इलेक्ट्रॉनिक टर्मिनल उपकरण में
		बटन दबाकर 1.00 रूपए प्रति कि.ग्रा. के गुणकों में स्वतः कीमत बढा सकते हैं
		1

[•] तम्बाकू बोर्ड (नीलामी) (संशोधन) विनियम, 2014, भारत के राजपत्रभाग-,।।, खण्ड-3, उप-खण्ड (ii) में दि.08/01/2014 को प्रकाशितानुसार जोड दिया गया था।

18	विक्रय	के लिए रखे गए तंबाकू का वापस लिया जाना :
	(1)	जब कोई वर्गीकरण कर्ता यह पाता है कि कोई गांठ इतनी बुरी तरह उठायी-धरी
		गयी, क्षतिग्रस्त मिश्रित बासी या फफूंदी है कि वह पुन: संभाले गए बिना
		विक्रय के योग्य नहीं है, तो वह ज्येष्ठ वर्गीकरण कर्ता की सहमति से गांठ को
		विक्रय से वापस कर सकेगा। इस आश्य की एक सूचना गांठ पर सहजदृश्य
		रूप से संप्रदर्शित की जाएगी और गांठ किसी प्रारंभकर्ता द्वारा विक्रय के लिए
		प्रस्तावित नहीं की जाएगी।
	(2)	गांठ ऐसे उगाने वाले द्वारा जो विक्रय के लिए गांठ पुन: प्रस्तावित करें, ऐसी
		तारीख को परिदत्त की जाएगी जो नीलामी अधीक्षक द्वारा तंबाकू पुन: संभालने
		के पश्चात् प्राधिकृत की जाए। ऐसी पुनः प्रस्तावित तम्बाकू की गणना उस
		तंबाकू में की जाएगी जिसे उगाने सवाला विनियम 5 के अधीन उस तारीख को
		परिदत्त करने के लिए प्राधिकृत हो।
19	फफ्रंदी	, बासी, मिश्रित, बुरी तरह उउठाई -धरी गई या क्षतिग्रस्त तंबाकू:
	(1)	यदि कोई गांठ इतनी फफ्ं्दी, मिश्रित या बुरी तरह उठाई-धरी गई, क्षतिग्रस्त या
		बासी है कि वह संभालकर रखने पर भी ठीक नहीं हो सकती है, किंतु जिसका
		ज्येष्ट वर्गीकरणकर्ता की राय में संभवतः कोई मूल्य हो सकता हो, तो ऐसी गांठ
		को विक्रय के लिए प्रस्तावित किया जा सकेगा यदि उस आशय की प्रविष्टि गांठ
		टिकट पर कर दी जाती है और उस आशय की सूचना गांठ के किसी सहजदृश्य
		स्थान पर सम्प्रदर्शित की जाती है और उस गांठ को विक्रय के लिए प्रस्तावित
		किए जाने के पूर्व प्रारंभकर्ता द्वाारा ऐसा घोषित किया जाता है।
	(2)	कोई भी क्रेता ऐसी गांठ के विक्रय को मात्र इस आधार पर निराकृत नहीं करेगा
		कि वह फफ्रूंदी, मिश्रित, बुरी तरह उठाई-धरी गई, क्षतिग्रस्त या बासी है।
20	नीडित	तंबाकू:
	(1)	कोई भी उगाने वाला विक्रय के लिए ऐसी तंबाकू प्रस्तावित नहीं करेगा जो
		नीडित है।
	(2)	यदि कोई वर्गीकरणकर्ता यह पाता है कि गांठ नीडित है तो वह गांठ को विक्रय
		से वापस कर लेगा और मामले की रिपोर्ट नीलामी अधीक्षक को करेगा।
	(3)	यदि क्रेता विक्रय के 48 घंटे के भीतर नीलाम अधीक्षक का यह रिपोर्ट करता है
		कि उसके द्वारा क्रय की गई गांठ नीडित है तो नीलामी अधीक्षक तुरंत तंबाकू
		का निरीक्षण करवायेगा।

	(4)	यदि उप विनियम (2) में निर्दिष्ट किसी वर्गीकरणकर्ता द्वारा रिपोर्ट के आधार
		पर या उपविनियम (3) में निदर्ष्टि निरीक्षण के परिणाम स्वरूप नीलामी
		अधीक्षक का यह समाधान हो जाता है कि गांठ नीडित है तो वह तंबाकू बोर्ड
		(नीलाम) नियम, 1984 के नियम 7 के अधीन उगाने वाले द्वारा परिदत्त
		तंबाकू को विक्रय के लिए प्राप्त करने या रखने से इंकार करने के लिए शास्ति
		अधिरोपित करने के लिए प्राधिकृत होगा।
	(5)	यदि नीलामी अधीक्षक यह अनुभव करता है कि उगाने वाले का रजिस्ट्रीकरण
		रद्द किया जानाना चाहिए तो वह तदनुसार अण्यक्ष् को इसकी रिपोर्ट करेगा
		और अध्यक्ष तंबाकू बोर्ड (नीलामी) नियम, 1984 के नियम 7 के अधीन
		कार्यवाही कर सकेगा।
	(6)	विक्रय के पश्चात् कोई गांठ जो नीडित पाई जाती है नीलामी अधीक्षक द्वारा
		विक्रय के लिए प्रस्तावित की जाएगी और विक्रय आगमों का उपयोग गांठ के
		क्रय मूल्य और परिवहन की लागत के मद्धे क्रेता को प्रतिदाय करने के लिए
		किया जाएगा। यदि ऐसे विक्रय द्वारा प्राप्त की गई रकम क्रेता को प्रतिदाय
		करने केलिए पर्याप्त नहीं है, तो ऐसी कमी नीलामी अधीक्षक द्वारा बोर्ड द्वारा
		उगाने वाले को शोध्य और क्रेता को संदत्त रकम से पुन: वसूल की जाएगी।
21	कोई ब	गोली न लगाए जाने वाली गांठ:
	यदि	कोई भी क्रेता किसी गांठ के लिए बोली नहीं लगाता है तो आरम्भकर्ता शुरू का
	मूल्य कम कर सकता है। यदि तब भी कोई बोली नहीं लगाई जा रही है तो	
	आरम्भ	मकर्ता गांठ को विक्रय से वापिस ले सकेगा। ऐसी गांठ, उगाने वाले के विकल्प
	पर य	ा तो उसे वापिस की जा सकेगी या किसी अन्य तारीख को नीलामी अधीक्षक
	द्वारा	विक्रय के लिए प्रस्थंापित की जा सकेगी । यदि विक्रय के लिए इस प्रकार
	प्रस्तार्ग	वेत किसी गांठ के लिए कोई बोली नहीं होती है तो बोर्ड या ऐसा अधिकरण जो
	बोर्ड ट	्वारा प्राधिकृत किया जाए, गांठ को ऐसे मूल्य पर क्रय करेगा जो उसके द्वारा
	समय-	समय पर विनिर्दिष्ट किया जाए।
	परन	न्तु बोर्ड या अभिकरण के लिए ऐसा तम्बाक् क्रय करना आवश्यक नहीं होगा जिसे
	बोर्ड अ	ापने द्वारा क्रय के लिए अनुपयुक्त समझता है।
22	उगाने	वाले द्वारा अस्वीकार किया जाना :
	(1)	विक्रय मूल्य के सहायक द्वारा आरम्भकर्ता को बताए जाने के पश्चात् 30
		मिनट के भीतर उगाने वाला, गांठ टिकट पर सुस्पष्ट दृश्य लाल रेखा खींचकर
		ऐसी गांठ के मूल्य को स्वीकार करने से इंकार कर सकेगा।

	(2)	वह उगाने वाला जिसने किसी गांठ के मूल्य को स्वीकार करने से इंकार कर
		दिया है, या तो उसे मंच से हटा सकेगा या प्नः इसे विक्रय के लिए प्रस्तावित
		करने के लिए नीलामी अधीक्षक से अन्रोध कर सकेगा।
	(3)	ऐसी गांठ केवल एक बार विक्रय के लिए प्न:प्रस्तावित की जाएगी और यदि
		ऐसे प्न: विक्रय के समय उगाने वाला ऐसी गांठ के मूल्य को स्वीकार करने से
		इंकार करता है तो वह मंच से गांठ हटा लेगा या विनियम 21 के अधीन क्रय
		के लिए इसे बोर्ड को प्रस्तावित करेगा।
2	3 क्रेताअं	ों द्वारा निराकरण:
	(1)	विनियम 19 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए क्रेता किसी दिन के विक्रय की
		समाप्ति के पश्चात् 30 मिनट के अन्दर वरिष्ठ वर्गीकरणकर्ता का यह
		अधिसूचित कर सकेगा कि उसके द्वारा क्रय की गई गांठ बुरी तरह उठाई-धरी
		गई, फफ्ंदी, बासी या क्षतिग्रस्त है या किसी अन्य रूप में विक्रय के लिए
		अनुपयुक्त है।
	(2)	वरिष्ठ वर्गीकरणकर्ता तुरन्त मामले की जांच करेगा और यदि वह क्रेता के
		प्रतिविरोध को कायम रखता है तो गांठ का विक्रयकर्ता द्वारा निराकरण किया
		जा सकेगा।
	(3)	यदि वरिष्ठ वर्गीकरणकर्ता क्रेता के प्रतिविरोध को कायम नहीं रखता है तो
		विक्रय विद्यमान रहेगा।
	(4)	यदि क्रेता के प्रतिविरोध को कायम रखा गया है या अस्वीकार किया गया है तो
		वरिष्ठ वर्गीकरणकर्ता गांठ विटकट पर प्रतिविरोध को कायम रखने या उसे
		अस्वीकार करने के कारण गांठ-टिकट के मुख्य भाग पर उपदर्शित करेगा।
	(5)	ऐसी गांठ विनियम 18 या विनियम 19 के उपबन्धों के अधीन, यथास्थिति,
		उगाने वाले को लौटा दी जाऐगी या विक्रय के लिए प्रस्तावित की जाऐगी।
24	4 क्रेताओं	ों द्वारा गांठों का हटाया जानाः
	(1)	क्रेता अपने द्वारा क्रय की गई गांठों को, विक्रय के पश्चात् गांठों की समाप्ति
		के आधा घण्टे के अन्दर मंच पर विक्रय के स्थान से नीलामी अधीक्षक द्वारा
		उपदर्शित किसी स्थान पर हटाएगा।
	(2)	क्रेता विक्रय के पांच घण्टे के अन्दर मंच से अपना तम्बाक् हटाएगा।
	(3)	यदि कोई क्रेता उपविनियम (2) में विहित समय के अन्दर अपना तम्बाकू हटाने
		में असफल रहता है तो नीलामी अधीक्षक ऐसी किसी हानि या नुकसान के लिए
		जो तम्बाक् को हो, दायित्वाधीन नहीं होगा।

25	उगाने वाले द्वारा गांठों का हटाया जाना:	
	(1)	उगाने वाला ऐसे तम्बाकू को जो विक्रय की समाप्ति के पांच घण्टे के अन्दर
		किसी कारणवंश उसे वापिस लौटाया जाता है, हटाएगा।
	(2)	यदि उगाने वाला नियत समय के अन्दर तम्बाकू हटाने में असफल रहता है तो
		नीलाम अधीक्षक तम्तम्बाक् को हटवा सकेगा और उगाने वाले की लागत पर
		उसका भण्डारकरण करा सकेगा।
	(3)	यदि उगाने वाला उस तारीख से जिसको वह हटाया जाना चाहिए या, 10 दिन
		की अवधि के अन्दर तम्बाकू का दावा करने में असफल रहता है तो नीलामी
		अधीक्षक, तम्बाक् का विक्रय करवा सकेगा और भण्डारकरण तथा आनुषंगिक
		व्ययों की लागत की कटौती करने के पश्चात् प्राप्त मूल्य का संदाय उगाने वाले
		को करवा सकेगा।
26	उगाने	वालों को संदाय:
	*(1)	कर्नाटका राज्य में, नीलामी अधीक्षक उगाने वाले को विक्रय की समाप्ति के 10
		दिन के भीतर उसके मंच पर विक्रय किए गए तम्बाक् के मूल्य का संदाय
		करेगा और आन्ध्र प्रदेश राज्य में नीलामी अधीक्षक उस विक्रय की समाप्ति के,
		जिसमें तम्बाक् का विक्रय हुआ है, 10 दिन के भीतर 50 प्रतिशत और 45 दिन
		के भीतर शेष का संदाय करेगा तथा ऐसे संदाय में से अधिनियम की धारा 14
		क के अधीन उगाने वाले से वसूल की जाने वाली फीस, तम्बाकू उप कर
		अधिनियम, 1975 (1975 का 26) के उपबंधों के अधीन उगाने वाले द्वारा
		संदत्त किए जाने के दायी उत्पाद-शुल्क और ऐसे अन्य प्रभार जो उगाने वाला,
		नियमों या विनियमों के अधीन संदाय करने का दायी है, काट लिए जाएंगे।
	(2)	संदाय उस बैंक के नाम दिए गए चैक द्वारा किए जाएंगे जिसमें उगाने वाले का
		लेखा है और जो विनियम 3 के अधीन उसको जारी की गई पास-बुक में
		उपदर्शित है।
27	क्रेताअं	र्वे द्वारासंदायः
	(1)	क्रेता नीलाम अधीक्षक को ऐसे समय के अन्दर जिस की बोर्ड अपेक्षा करें, उसके
		द्वारा क्रय की गई तम्बाकू के मूल्य का संदाय करेगा।

[•] तम्बाकू बोर्ड (नीलामी) (संशोधन) विनियम, 1985, भारत के राजपत्रभाग-,।।।, खण्ड-4, में दि.15/02/1985 को संशोधन किया गया था।

	(2)	यदि कोई क्रेता उपिधनियम (1) के निबन्धनों के अनुसार विनिर्दिष्ट समय के	
		अन्दर अपना हिसाब तय करने में असफल रहता है तो नीलामी अधीक्षक	
		तम्बाकू बोर्ड (नीलामी) नियम, 1984 के नियम 9 के अधीन मंच पर उसके	
		उपस्थित होने और क्रय करने के लिए उसे अनुज्ञात करने से इन्कार किए जाने	
		शास्ति अधिरोपित कर सकेगा।	
	(3)	यदि नीलामी अधीक्षक यह अनुभव करता है कि रजिस्ट्रीकरण के संग्रहण की	
		शास्ति अधिरोपित की जानी चाहिए तो वह अधीक्षक को रिपोर्ट करेगा जो	
		तम्बाक् बोर्ड (नीलामी) नियम, 1984 के नियम 9 के अधीन कार्रवाई करेगा।	
	(4)	ऐसा कोई क्रेता जो विनिर्दिष्ट समय के अन्दर संदाय करने में असफल रहता है,	
		बोर्ड द्वारा स्थापित किसी तल पर तब तक बोली लगाने के लिए अनुज्ञात नहीं	
		होगा तब तक वह अपना हिसाब तय नहीं करता है।	
	(5)	क्रेताओं से सम्यक् संदाय सुनिश्चित करने के लिए बोर्ड ऐसे क्रेतक्रेताओं से बोर्ड	
		के समाधानप्रद रूप में एक बैंक प्रत्याभूति या प्रत्ययपत्र या ऐसी धनराशि की	
		ऐसी अन्य प्रतिभूति जो वह आवश्यक समझे, प्रस्तुत करने की अपेक्षा कर	
		सकेगा।	
28	मंच प	र उपस्थितिः	
	(1)	नीलामी अधीक्षक द्वारा प्राधिकृत व्यक्तियों से भिन्न कोई व्यक्ति किसी मंच	
		पर प्रवेश करने के लिए अनुज्ञात नहीं होगा।	
	(2)	किसी क्रेता के अधिक से अधिक 2 प्रतिनिधि मंच पर प्रवेश करने के लिए या	
		एक ही समय पर बोली लगाने में भाग लेने के लिए अनुज्ञत होंगे।	
	(3)	ऐसा उगाने वाला जिसके तम्बाकू की नीलामी की जा रही है या उसके द्वारा	
		सम्यक् रूप से प्राधिकृत उसका प्रतिनिधि मंच पर उसकी गांठ की बोली समाप्त	
		होने के पश्चात् उसकी तम्बाकू द्वारा प्राप्त मूल्य की जांच करने के लिए मंच	
		प्रवेश कर सकेगा ।	
29	विवाद	:	
		यदि कोई विवाद, जिसका इन विनियमों में उपबन्ध नहीं किया गया है, किसी	
	विक्रय	के अनुक्रम में या उसके सहायक रूप में उत्पादन हो जाता है तो वह मामला	
	नीलाम	ी निदेशक को निर्देशित किया जाएगा जिसका विनिश्चय अंतिम होगा।	
30	निरसन:		
	तम्बाक् बोर्ड (कर्नाटक राज्य पर लागू होना) विनियम, 1979 इसके द्वारा		
		निरसित किया जाता है और साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 (1897 का 10) के	
	उपबन्ध, जहाँ तक हो वहाँ तक, इन विनियमों के निर्वचन को वैसे ही लागू होंगे जैसे		
	वह किसी केन्द्रीय अधिनियम के निर्वचन को लागू होते हैं।		